

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-

संख्या-12/निजी-70423/2023 सा0प्र0- /श्रीमती स्वाति कुमारी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-880/26), जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा को अपने पति के साथ विदेश यात्रा (जापान) पर जाने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-03.06.2026 से दिनांक-16.06.2026 तक कुल-14 (चौदह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त 14 (चौदह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती कुमारी के पक्ष में कुल-135-14=121 (एक सौ एककीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी एवं कुल-80 (अस्सी) दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी आदेय होगी।

3. श्रीमती कुमारी को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8 (iii)के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70423/2023 सा0प्र0-.....8565/पटना, दिनांक-.....14.5./26

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती स्वाति कुमारी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-880/26), जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा /आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव रंजन दास
14.05.2026